संख्या-694/2021/4325/41-2021-148 सा0/15 टीसी-1

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021**

विषय:-रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु लीज पर 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3003/6-1-1(1196)/2020-21 दिनांक 20 सितम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु लीज पर 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वनसम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनायें विद्यमान हैं।

3. जनपद वाराणसी में स्थित सारनाथ एक आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं दार्शनिक स्थल है जहॉ पर गौतमबुद्ध के द्वारा अपने पॉच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया गया था जो रिंग रोड से जुड़ा हुआ है। यहॉ धमेख स्तूप, धर्मराजिका तथा चैखण्डी स्तूप जैसे उत्खनन क्षेत्र के साथ संग्रहालय भी स्थित है। यहॉ वर्ष भर लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधा के अन्तर्गत गेस्ट हाउस, लॉज, होटल, पी0जी0 उपलब्ध है। सारनाथ के सर्वांगीण विकास हेतु प्रो-पुअर योजना भी प्रस्तावित है।

4. इस बौद्धिक स्थल को वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु 02 एकड़ भूमि रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को दिये जाने पर भारत और भूटान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ भारत ही नही वरन् विदेशों से भी बहुतायत पर्यटक भारत आयेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उल्लेखनीय है कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तो पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाय। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगाः-

(क) राज्य सरकार भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के प्रस्तावित भूमि स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(ख) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन का आदेश देना होगा।

शासनादेश संख्या-689/एक-1-202-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06-07-2020 के अनुसार राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687, दिनांक 06-07-2020 द्वारा उ0 प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्रकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

6. उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा अपने पत्र संख्या-6679/ सात-भू0सु0/2021, दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को 02 एकड़ भूमि लीज पर दिये जाने हेतु आवश्यक भूमि हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी में भूमि के विनिमय से संबंधित संस्थित वाद संख्या-8541/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 202114700208541 ग्राम सभा बनाम सरकार, अन्तर्गत धारा-101 अधिनियम-उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 में दिनांक 16 अगस्त, 2021 को यह आदेश पारित किया गया है कि ग्राम अजईपुर, परगना-कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या-579 के आ0नं0-311 रकबा-0.227 हे0 चारागाह के खाते निरस्त होकर आ0नं0-मि0-311 के रकबा-0.005 हे0 नवीन परती अंकित हो तथा आ0नं0-मि0 311 रकबा 0.222 हे0 बंजर दर्ज हो, साथ ही खाता संख्या-563 के आ0नं0-68ग रकबा 0.202 हे0 बंजर के खाते से तथा खाता संख्या-562 की आ0नं0-68घ रकबा 0.004 हे0 नवीन परती के खाते से निरस्त होकर चारागाह अंकित हो।

7. तद्क्रम में रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को वाराणसी बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु अपेक्षित 02 एकड़ भूमि ग्राम अजईपुर, परगना- कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी में स्थित गाटा संख्या 313ख रकबा-0.607 हे0, गाटा संख्या-311 रकबा 0.227 हे0 भूमि उपलब्ध है, का पुर्नग्रहण पर्यटन विभाग के पक्ष में करते हुए रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को लीज डीड के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(क) रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु 02 एकड़ भूमि लीज डीड पर दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा चिन्हित भूमि जो ग्राम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अजईपुर, परगना-कोलअसला, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी स्थित गाटा संख्या 313ख रकबा-0.607 हे0, गाटा संख्या-311 रकबा 0.227 हे0 का पुर्नग्रहण पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस शर्त के साथ हस्तान्तरित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में लीज डीड को विधायी विभाग से विधीक्षित कराने के उपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(ख) रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को 02 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने एवं लीज एग्रीमेन्ट के संबंध में अग्रेतर निर्णय हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया रॉयल गवर्नमेन्ट आफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु लीज पर 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिये गये उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-694/2021/4325(1)/41-2021-148 सा0/15 टीसी-1 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7- जिलाधिकारी, वाराणसी।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक, वाराणसी।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।